

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज्ञ अदालत उपखण्ड अधिकारी पुष्काम टोंक
 अर्जुन बनाम तहसीलदार, टोंक
 किसम मुकदमा दावा उद्घोषणा नं. 28 सन. 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जै इत हुकम की तारीख में जारी हुए
08.03.17	<p>अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 कार्यालय रिपोर्ट होकर पेश हुआ। अभिभाषक वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की जरिये सम्मन मय नकल तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 03.05.2017 को पेश हों।</p> <p style="text-align: center;">✓ उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)</p> <p>वकील प्राची/अश्विनी जय./अनु.पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्रा.पं. 1114 में दिनांक 29-5-17 को पेश हों</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी, टोंक</p> <p>पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2017 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प-सोरण में पेश हुयी। पक्षकारान उपस्थित। वादी ने वाद में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराया तथा वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम सोरण जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक भूमि दर्ज है को दिनांक 12.02.1985 के आवंटन आदेश के आधार पर अपनी खातेदारी की घोषणा बाबत वाद प्रस्तुत किया है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 116/1 रकबा 23 बीघा 16 बिस्वा बारानी-11 सिवायचक राजकीय भूमि है। वादी ने उक्त भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये हैं। उक्त आवंटन आदेश के वर्तमान में अस्तीत्व के संबंध में भी पक्षकारान ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। यह जांच का विषय है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य है।</p> <p>प्रकरण तहसीलदार टोंक को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे काश्त के संबंध में जांच करें तथा उक्त आवंटन आदेश की भी जांच करें। यदि प्रकरण खातेदारी दिये जाने योग्य पाया जाता है तो प्रकरण तैयार कर तीन माह की अवधि में खातेदारी के लिए भिजवाएँ। वादी को निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार टोंक के समक्ष उपस्थित होकर अपने पक्ष के सबूत दस्तावेजात आदि पेश करें।</p> <p>पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(डॉ० सूरज सिंह नेगी) आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी, टोंक टोंक (राज.)</p>	<p style="text-align: right;">804 10-317</p>

35
12

7/10
 2/10